IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

उत्तराखण्ड में महिलाओं की स्थितिः दशा और दिशा (पुलिस बलों के विशेष संदर्भ में)

शोधार्थी–पूजा बिष्ट, राजनीति विज्ञान विभाग

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।

पता– पूजा बिष्ट D/o पूरन सिंह बिष्ट

ग्राम चौरा, पो.ऑ बज्वाड., अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

शोध सार– उत्तराखण्ड में हमेशा से ही नारी शक्ति का सम्मान होता आया हैं। आज भी यहां आने वाले पर्यटक यहां के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन को आते हैं। यहां देवियों के कई मन्दिर हैं, तो वहीं नंदा देवी राजजात जैसी विश्वप्रसिद्ध सांस्कृतिक धरोहर भी हैं। राज्य के निर्माण से लेकर उसके विकास में मातृशक्ति की भूमिका किसी से छिपी नहीं हैं। इसलिए राज्य की महिलाओं को यहां की रीढ़ कहा जाता हैं। उत्तराखण्ड को ऐसे राज्य की ओर अग्रसर करना है, जहां महिलाएं व बालिकाएं न केवल जीवन जीने में सक्षम हो, अपितु सम्मान के साथ गुणवत्तायुक्त जीवन व्यतीत करें। साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें समान अवसर प्राप्त हों और राज्य के विकास में उनकी बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

देश में कानून व्यवस्था लागू करवाने और शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिए पुलिस की भूमिका बेहद अहम होती हैं। पुलिस की कार्य शैली और व्यवहार को संवेदनशील व जन अनुकूल बनाने के लिए पुलिस विभाग में महिला कर्मियों की अधिक संख्या अनिवार्य हैं। इस दिशा में सरकार ने वर्ष 2009 में केंद्रीय पुलिस बल व राज्य पुलिस बल में स्वीकृत कुल पदों में 33% पद महिला पुलिस कर्मियों द्वारा भरे जाने के निर्देश दिए थे। वर्तमान में पुरूष प्रतिनिधित्व वाले पुलिस बल में महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति 10% तक ही हैं। इसके लिए सिर्फ आरक्षण कि व्यवस्था करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि सामाजिक सोच में भी सुधार की आवश्यकता है। पुलिस विभाग में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में वृद्धि निःसंदेह पुलिस सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। ऐसे में आवश्यकता हैं, इस दिशा में महिलाओं की दशा में सुधार किया जायें।

मुख्य शब्द– उत्तराखण्ड़, महिला पुलिस, कानून व्यवस्था।

प्रस्तावना– एक समय था, जब भारतीय महिलाओं की भूमिका सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित थी, वहीं आज उनकी भूमिकाओं ने घर की चार दीवारी को तोड़ते हुए उन्हें अंतरिक्ष के सफर तक में पहुँचा दिया हैं। पिछले कई सालों में महिलाएँ कई क्षेत्रों में आगे आयी हैं। उनमें नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है और वे अब हर काम को चुनौती के रूप में स्वीकार करने लगी हैं। अब सभी वह क्षेत्र जहां पहले केवल पुरूषों का ही वर्चस्व था, वहां स्त्रियों ने भी अपने कौशल का परिचय दिया हैं। भारतीय समाज पुरूष प्रधान है, किन्तु फिर भी व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय दायित्वों के कुशल निर्वहन में शताब्दियों से आज तक महिलाओं की अग्रणी भूमिका रही हैं। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण के उच्चस्तरीय दावे किये जा रहे हों, ऐसे में उत्तराखण्ड के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने अपनी दुरूह जीवन शैली के होते हुए भी अपने गौरवपूर्ण इतिहास को स्वयं ही रचा है। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता की उत्तराखण्ड हिमालय के महिला समाज ने भी प्राचीन समय से ही ऐतिहासिक सोपानों का निर्माण किया। 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तराखण्ड में महिलाओं की संख्या 4962574 है, जो हमारे देश की कुल आबादी का लगभग 1% है।

मानव समाज के दो ध्रुव हैं– स्त्री और पुरूष। दोनों एक दूसरे के पूरक है, सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही नही, कार्य के संपूर्णता के स्तर पर भी। वर्तमान में वह सिर्फ घर के कामों में ही नहीं बल्कि देश की प्रगति में भी योगदान दे रहीं हैं। अब वह सिर्फ चूल्हा–चौकी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त कर शासन और प्रशासन में भी अपनी भूमिका निभाने लगी हैं। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां पर महिलाएं अपनी योग्यता और श्रमशीलता का लोहा न मनवा रहीं हों। पुलिस बल जो राज्य द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने, नागरिक अव्यवस्था को सीमित रखने व शान्ति और सुरक्षा को बनायें रखती है। वहां भी महिला पुलिस द्वारा इस कार्य को पूरी निष्ठा से किया जाता हैं।

महिला पुलिस की विभिन्न परिस्थितियों को शान्तिपूर्वक हल करने तथा तनाव को दूर करने की बहुत सम्भावनाएं होती है। विषम परिस्थिति की भूमिकाओं जिनमें नियंत्रण, धैर्य और सहनशीलता की जरूरत हो उन्हें वहां सरलता से तैनात किया जा सकता है।[1] कल्याणकारी राज्य के स्थायित्व में महिला पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है, यथा–महिलाओं में अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का खुलासा करने का साहस आया है, क्योंकि उसके लिए पुलिस थाना व महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध हैं।

उत्तराखण्ड़ में महिला पुलिस बल– उत्तराखण्ड़ भले ही देश के अन्य राज्यों से कई विषयों में अग्रणी रहा हो, लेकिन पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या के मामले मे देश में 23वें स्थान पर आता हैं। पुलिस विभाग में वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ पदों तक में महिलाओं की संख्या बेहद कम हैं। कुल पुलिस फोर्स में मात्र 12% ही महिलाओं का योगदान हैं।

उत्तराखण्ड पुलिस में महिलाओं की भागीदारी पद–

क्रम संख्या	वरिष्ठता के आधार पर पद	पदों की कुल संख्या	महिलाओं की कुल संख्या
1	एडीजी	05	00
2	आईजी	06	01
3	एसएसपी	27	06
4	एएसपी	100	15
5	इंस्पेक्टर	219	10
6	सब इंस्पेक्टर	1555	294
7	हेड कांस्टेबल	2240	75
8	कांस्टेबल	16,714	2,201

[2]स्रोत– हिंदुस्तान ई–पेपर, 1 अप्रैल,2022

इसके अलावा ज्यादातर महिला पुलिस कर्मचारियों को डेस्क जॉब में लगाया गया हैं। राज्य में महिलाओं के बढते अपराधों के लिए महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती अनिवार्य हैं। महिलाओं के खिलाफ बढते अपराधों का ग्राफ यदि कम करना हैं, तो उसके लिए पुलिस बलों में उनकी संख्या बढानी होगी। तभी वह अपने ऊपर होने वाले अपराधों पर खुल कर अपनी बात रख पायेंगी।

दरअसल, पहले महिलाएं झिझक और शर्म के कारण थानों तक नहीं पहुंचती थी। जिस कारण उन पर होने वाले अपराध के आंकड़े बहुत अधिक नजर नहीं आते थे। पुलिस ने भी लगातार महिलाओं की इस झिझक को तोड़ने के लिए कई कदम उठाएं हैं। लेकिन पुलिस में महिला कार्मिकों की सीमित संख्या के चलते यह लक्ष्य को पूर्ण करने में सफल नहीं हुआ है। जिसका कारण है महिलाओं का पुलिस बल में प्रवेश कम होना। समाज द्वारा पुलिस व्यवस्था को पुरूष व्यवस्था माना गया है, जिससे महिलाओं द्वारा इसका चयन कम संख्या में किया जाता है। कहीं न कहीं महिलाओं की इच्छा व रूचि पर पुरूष समाज द्वारा सदैव से एक अंकुश लगाया गया है। जिससे वह स्वयं की इच्छा से अपने जीविकापार्जन का चुनाव नहीं कर पाती है। जिसका प्रभाव पुलिस में महिलाओं की कम संख्या पर स्पष्ट दिखाई देता हैं।

राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह महिलाओं को विशेष संरक्षण देने के लिए कानून बना सकेगा और कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकेगा कि उससे अन्य नागरिकों के साथ भेदभाव होता है। यहीं भारत के संविधान की उद्देशिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्त्व, मौलिक दायित्व एवं अन्य अनेक प्रावधानों के

अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान की आत्मा, अन्य शोषित, दलित एवं कमजोर वर्गों की भाँति महिला उत्थानोन्मुख हैं।[3]

पुलिस बल में महिलाओं की संख्या कम होने का कारण– देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था की जाती हैं। जिसमें पुरूष वर्ग द्वारा ज्यादा से ज्यादा अपने दायित्वों का निर्वहन किया जाता हैं, लेकिन महिलाओं की भूमिका हमेशा से कम ही देखी गई है। जिसके कई कारण हैं, जो निम्नलिखित है–

1.पुलिस में कार्यरत महिलाओं को बेहद ही मुश्किल परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, ड्यूटी के दौरान कई बार वह कई घण्टों तक पानी नहीं पीती, ताकि उन्हें टॉयलेट न जाना पड़े। शौचालयों की व्यवस्था न होना, पृथक आराम गृह की कमी व सुविधाओं का अभाव हैं।

2.रात्रि कालीन ड्यूटी के चलते भी महिलाएं इस सेवा में नहीं आना चाहती हैं। बच्चों की देखभाल की उचित व्यवस्था का अभाव व आवास की सुविधा की कमी भी है।

3.अकसर महिला पुलिस कर्मियों को लैंगिक भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है। पुलिस विभाग निरंतर और व्यापक रूप से लैंगिक पूर्वाग्रह के साथ–साथ लैंगिक उदासीनता से भी ग्रस्त है।

4.कई बार अखबारों की सुर्खिया महिला पुलिस कर्मियों के साथ वरिष्ठ अधिकारीयों या सहयोगी कर्मियों के द्वारा यौन शोषण से पीड़ित खबरों की हेडलाईन बन जाती हैं।

5.कई परिवार रूढ़िवादी सोच के कारण महिलाओं को पुलिस या सेना में भेजने से घबराते हैं, क्योंकि इन सेवाओं से जुड़ी महिलाओं की शादी को लेकर काफी मुश्किलें खड़ी होती है।

6.'पुलिस में महिलाओं का सातवें राष्ट्रीय सम्मेलन' में पेश एक सर्वे के अनुसार महिलाओं का जो बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया कराया जाता है वह इतना कसा हुआ होता है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जैकेट पुरूषों के शरीर के जरूरत के अनुसार बनाए जाते हैं। यह समाज के औपचारिक समानता के दृष्टिकोण को दर्शाता हैं।

भारतीय पुरूष प्रधान देश में महिलाओं से हमेशा अधीनता की अपेक्षा रखी जाती है। पुलिस में बहुमत संख्या पुरूषों की होने की वजह से पुलिस सेवा पुरूष प्रधान व्यवसाय बन चुका है। इसी कारण महिलाओं को आज भी पुलिस विभागों में स्वीकृति हासिल करने के लिए जूझना पड़ रहा है। मनु का एक कथन है, 'पिता रक्षिते कौमारे, भर्त्ता रक्षिते यौवने। रक्षिन्ते स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वान्तन्त्र्यमहैति।।[4] (अर्थात् कौमारावस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्री की रक्षा करते हैं। स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं है।

उपरोक्त संस्कृत श्लोक महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालता है कि नारी का अस्तित्व सर्वदा परतंत्र अर्थात् शोषण का पात्र है। यही कारण है कि जब स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की संरचना हुई तो उसमें ऐसे प्रावधान शामिल किए गए जिसमें महिलाओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय जीवन का अधिकार प्राप्त हो। देश के कानून में सभी समान है, लेकिन समाज की दृष्टि में आज भी भेदभाव विघमान है।

पुलिस विभाग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढाने हेतु उपाय–

1.भौगोलिक और क्षेत्रीय विविधता के आधार पर प्रत्येक जिलें में विशेष भर्ती अभियान चलाया जाना चाहिये, जिसमें महिलाओं के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत आरक्षण धरातल पर दृष्टिगोचर हो।

2.पुलिस को शैक्षणिक संस्थानों और मीडिया के माध्यम से महिलाओं के लिये पुलिस विभाग में उपलब्ध अवसरों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिये व उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।

3.पुलिस प्रशासन के भीतर महिला कर्मियों को अपने पुरूष समकक्ष सहकर्मियों के साथ प्रत्येक प्रकार से समानता बनाए रखने के लिये सहज वातावरण उपलब्ध कराना चाहियें।

4.पुलिस कार्य प्रतिदिन नयी चुनौति के साथ शुरू होता, जो अकसर तनाव का कारण बन जाता हैं। इस के लिए समय–समय पर अवकाश प्रदान करना चाहिए।

5.महिलाओं की कुछ विशेष आवश्यकताएँ हैं जैसे गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद की स्थिति, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उन्हें पर्याप्त अवकाश देना चाहिए और गैर–कार्यकारी पोस्टिंग के लिये नहीं हटाना चाहिये।

6.पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए रेस्ट रूम, चेंजिग रूम और क्रेच का निर्माण करना चाहिए। जिससे वह मानसिक रूप से तनाव मुक्त रह कर कार्य कर सके।

7.अपनी बात खुल कर रख सकें, बिना दबाव के कार्य कर सकें, कार्य के दौरान अनावश्यक गतिविधियों का विरोध कर सके, उसके लिए उन्हें खुला मंच प्रदान करना चाहिए।

निष्कर्ष– आज की महिलाएं न सिर्फ अधिक सशक्त हैं, बल्कि उनकी रचनात्मक क्षमता भी अपार है। यह कहना अतिश्योक्ति न होगी कि महिलाएं कई क्षेत्रों में पुरूषों से बेहतर काम कर रही हैं। बेटियों को जितना मजबूत बनाया जायें, उतना ही समाज मजबूत होगा। महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों से सबसे अधिक मध्य व निम्न वर्ग की महिलाओं के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। अगर थानों में महिला पुलिसकर्मी मौजूद हों, तो अपराध के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा। राज्य पुलिस विभाग में महिलाओं की नियुक्ति के लिये आरक्षण की व्यवस्था तो की है, पर यह पर्याप्त नही है क्योंकि विभाग में सृजित सभी स्तर के पदों के लिये यह व्यवस्था प्रयोग में नहीं लाई जाती है। पुलिस में महिलाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी तो हुई है, लेकिन व्यवसायिक परिधि के भीतर महिलाओं को पुरूषों के समान भागीदार के रूप में स्वीकार्यता और आत्मसात करने की दिशा में वांछित कार्य नहीं किये गयें हैं। यह बात सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि समाज के किसी एक वर्ग को लैंगिक संरचना के कारण नुकसान हो रहा है तो ये पूरे देश का व समाज का नुकसान है न कि केवल महिलाओं का। महिला व पुरूष दोनों मिलकर ही प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकते है।

संदर्भ ग्रंथ

1.विश्नोई, ओमराज सिंह, पुलिस व्यवस्था एवं सकारात्मक सोच, प्रकाशक अरावली बुक्स इंटरनेशनल, नई दिल्ली, 2010, पृष्ठ सं0 174

2. हिंदुस्तान ई–पेपर, 1 अप्रैल,2022

3.खन्ना, संतोष, 21वीं सदी में नारी कानून और सरोकार, विधि भारती परिषद, दिल्ली, 2007

4. मनु स्मृति. 9.3